

न्यायालय:-अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रकरण क्रमांक - 96/2015

संस्थित दिनांक 07-12-2015

इन्ताफ खॉ पुत्र शहजाद खॉ, उम्र 32 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सर्वा, हाल तेहरा रोड वार्ड न0 18 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

॥ वि रु द्ध ॥

श्रीमती मदीना पुत्री निजाम खॉ, पत्नी इन्ताफ खॉ, उम्र 29 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी गोहद चौराहा, हाल निवासी- खडियाहार थाना सिहोनियाँ जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा-श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अधि0.

अनावेदिका द्वारा-श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक **01.07.2017** को घोषित किया गया)

01. आवेदक की ओर से वर्तमान याचिका निकाह के तलाक बावत् दिनांक 17.11.2015 को प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 21.06.2017 को आवेदक एवं अनावेदिका की ओर से एक आवेदनपत्र हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका निकाह अनावेदक के साथ वर्ष 2004 में सम्पन्न हुआ था और निकाह के पश्चात् अनावेदिका उसके साथ एक वर्ष तक अच्छी तरह से रही उसके उपरान्त उनके मध्य झगडा फसाद होने लगे अनावेदिका बार बार अपने पिता के घर जाने का कहने लगी और समझाने पर झगडा करने लगी। अनावेदिका कूर स्वभाव की महिला होकर एकांकी जीवन यापन करने वाली

महिला है। अनावेदिका ने आवेदक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा पर झूठा अपराध दहेज प्रताड़ना का दर्ज कराया गया जिसमें उसके द्वारा राजीनामा भी किया गया था। अनावेदिका का चाल चलन एवं चरित्र ठीक नहीं है। अतः आवेदक के हक में अनावेदिका के विरुद्ध डिक्री पारित करने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका की ओर से अपने जबाब में आवेदक के साथ विवाह होना स्वीकार करते हुए अन्य आधारों को इन्कार किया है। शादी के बाद आवेदक उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान प्रताड़ित करने लगा जिस पर उसके द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, किन्तु अनावेदिका को बहलाकर उक्त प्रकरण में राजीनामा करवा लिया गया और बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। आवेदक ड्रायवर है और उसके पास खेती भी है। आवेदक द्वारा उसके विरुद्ध यह झूठी याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त करने का उसकी ओर से निवेदन किया गया है।

04. प्रकरण में आवेदक इन्ताफ खॉ की ओर से अनावेदिका के साथ हुए निकाह को विच्छेदित करने बावत् यह याचिका इस न्यायालय में दिनांक 17.11.15 को प्रस्तुत की गई थी, जिसका जबाब अनावेदिका द्वारा दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21.06.17 को प्रकरण के उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एक आवेदनपत्र दोनों के मध्य हुए निकाह को विच्छेदित करने बावत् प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण के उभयपक्षकारन मुसलमान है और इस कारण इस संबंध में उन पर हिन्दू विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और मुस्लिम विधि शासित होती है। मुस्लिम विधि में यह प्रावधान नहीं है कि आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुति दिनांक से 6 माह पश्चात् डिक्री पारित की जावेगी।

05. उभयपक्ष दिनांक 22.06.17 को न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि उनका अब आपस में साथ रहना संभव नहीं है, उनके मध्य वैचारिक मदभेद उत्पन्न हो गये और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और दूरिया स्थापित हो गई और वर्तमान में

दोनों पृथक पृथक निवास कर रहे हैं, उनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है। अतः आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते यह याचिका दिनांक 21.06.2017 प्रस्तुत की है। अतः उनके मध्य हुआ निकाह विच्छेदित कर दिया जावे।

06. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या आवेदक एवं अनावेदिका विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
------------	-------------------------------------------------------------------------------

//सकारण निष्कर्ष//

07. आवेदक एवं अनावेदिका के याचिका के संबंध में कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रतिकूल होने लगा है और अब उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। अतः सहमति के आधार पर उनके मध्य हुआ निकाह को विघटित कर दिया जावे।

08. उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए समझायाश दी गई और इस दौरान मीडिएशन भी कराया जा चुका है। उभय पक्ष अपने फैसले पर अडिक हैं तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

09. परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1	आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य हुआ विवाह को विच्छेदित किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदिका आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहेंगे।
2	उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/- तक मान्य की जाती है।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)